



2026:AHC:42963-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या-76/2026

श्रीमती अनुराधा

....अपीलकर्ताओं

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता: इंदु शेखर त्रिपाठी

प्रतिवादिओं के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, विशाल टंडन

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंशाली,

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र,

पुनः सुधार:- आवेदन संख्या 3/2026

1. सुधार की मांग वाला आवेदन अन्य बातों के साथ यह दर्शाता है कि दिनांक 10.02.2026 के आदेश के दूसरे परिच्छेद की चौथी पंक्ति में 'रामपुरी' के स्थान पर 'रामपुर' अंकित है।
2. आवेदन में उल्लिखित कारणों से, इसे स्वीकार किया जाता है।
3. दिनांक 10.02.2026 के आदेश में, दूसरे परिच्छेद में 'रामपुर' के स्थान पर 'रामपुरी' पढ़ा जाएगा।
4. यह आदेश दिनांक 10.02.2026 के आदेश का भाग होगा।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंशाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

पी.श्री./ए.के.शुक्ला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”